



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-14022025-261024
CG-GJ-E-14022025-261024

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]
No. 114]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/MAGHA 24, 1946

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

गांधीनगर, 4 फरवरी, 2025

आईएफएससीए/जीएन/2024/012.— अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की अधिसूचना में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 18 नवंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/2024/012 द्वारा प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (कारकों का रजिस्ट्रीकरण और प्राप्यों के असाइनमेंट का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2024 में, -

- विनियम 1 में, अंक और चिह्न "i." और "ii." को क्रमशः "(1)." और "(2)." पढ़ा जाएगा।
- विनियम 2 में, अंक और चिह्न "i." और "ii." को क्रमशः "(1)." और "(2)." पढ़ा जाएगा।
- विनियम 3 में, अंक और चिह्न "i." तथा "ii." को क्रमशः "(1)." तथा "(2)." पढ़ा जाएगा।
- विनियम 3 के उप-विनियम i के खंड (j) में, शब्द और अंक "खंड 50" को "खंड 51" पढ़ा जाएगा।
- विनियम 3 के उप-विनियम i के खंड (k) में, शब्द "उप-धारा (एसए)" को "खंड (एसए)" पढ़ा जाएगा।
- विनियम 4 में, अंक और चिह्न "i.", "ii.", "iii.", "iv." तथा "v." को क्रमशः "(1).", "(2).", "(3).", "(4)." तथा "(5)." पढ़ा जाएगा।
- विनियम 4 के उप-विनियम ii में, शब्द और अंक "उप-विनियम (i)" को "उप-विनियम (1)" पढ़ा जाएगा।
- विनियम 6 में, अंक और चिह्न "i." तथा "ii." को क्रमशः "(1)." तथा "(2)." पढ़ा जाएगा।

9. विनियमन 6 के उप-विनियम (ii) में, शब्द और अंक “खंड (i)(क) तथा (i)(ख)” को “उप-विनियम (1) के खंड (क) तथा (ख)” पढ़ा जाएगा।
10. विनियमन 6, 7 तथा 8 को क्रमशः विनियमन 5, 6 तथा 7 पढ़ा जाएगा।
11. विनियमन 7 में, अंक और चिह्न “i.”, “ii.” तथा “iii.” को क्रमशः “(1).”, “(2).” तथा “(3).” पढ़ा जाएगा।
12. विनियमन 8 में, अंक और चिह्न “i.”, “ii.” तथा “iii.” को क्रमशः “(1).” “(2).” तथा “(3).” पढ़ा जाएगा।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./969/2024-25]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

CORRIGENDUM

Ghandhinagar, the 4th February, 2025

IFSCA/GN/2024/012.— In the notification of International Financial Services Centres Authority, the International Financial Services Centres Authority (Registration of Factors and Registration of Assignment of Receivables) Regulations, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number IFSCA/GN/2024/012 dated the 18th November, 2024, -

1. In regulation 1, the figure and mark “i.” and “ii.” shall be *read* as “(1).” and “(2).”, respectively.
2. In regulation 2, the figure and mark “i.” and “ii.” shall be *read* as “(1).” and “(2).”, respectively.
3. In regulation 3, the figure and mark “i.” and “ii.” shall be *read* as “(1).” and “(2).”, respectively.
4. In clause (i) of sub-regulation i. of regulation 3, the word and figure “clause 50” shall be *read* as “clause 51”.
5. In clause (k) of sub-regulation i. of regulation 3, the word “sub-section (sa)” shall be *read* as “clause (sa)”.
6. In regulation 4, the figure and mark “i.”, “ii.”, “iii.”, “iv.” and “v.” shall be *read* as “(1).”, “(2).”, “(3).”, “(4).” and “(5).”, respectively.
7. In sub-regulation ii. of regulation 4, the word and figure “sub-regulation (i)”, shall be *read* as “sub-regulation (1)”.
8. In regulation 6, the figure and mark “i.” and “ii.” shall be *read* as “(1).” and “(2).”, respectively.
9. In sub-regulation (ii) of regulation 6, the words and figure “clause (i) (a) and (i) (b)” shall be *read* as “clause (a) and (b) of sub-regulation (1)”.
10. The regulation 6, 7 and 8 shall be *read* as regulation 5, 6 and 7, respectively.
11. In regulation 7, the figure and mark “i.”, “ii.” and “iii.” shall be *read* as “(1).” “(2).” and “(3).”, respectively.
12. In the regulation 8, the figure and mark “i.”, “ii.” and “iii.” shall be *read* as “(1).” “(2).” and “(3).”, respectively.

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./969/2024-25]